



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – रिजर्व पुलिस लाइन दिनांक – 08.07.2024

नवीन पुलिस लाइन में “पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान – 2024” के अर्न्तगत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मा0 विशेष सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पृथ्वी को हरा – भरा एवं प्रदूषण मुक्त रखने व सुरक्षित जीवन हेतु वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया ।

“पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान – 2024” के अर्न्तगत आज दिनांक 08.07.2024 को नवीन पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें श्री योगेश कुमार, विशेष सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पृथ्वी को हरा-भरा एवं प्रदूषण मुक्त रखने व सुरक्षित जीवन हेतु वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नगर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात दिनांक- 08.07.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 146/2024 धारा 363/506/376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.07.2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को अभियुक्त अंकुर वर्मा पुत्र रोहताश वर्मा निवासी शुगर मिल के पास फूल बाग कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर अपने दो साथियों नाम, पता नामलूम के साथ बहला फुसलाकर ले गया व वादी को अभियुक्त अंकुर वर्मा व उसके परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 146/2024 धारा



363/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376(3)भादवि 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । दिनांक 07.07.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकुर वर्मा पुत्र रोहताश वर्मा निवासी शुगर मिल के पास फूल बाग कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकुर वर्मा पुत्र रोहताश वर्मा निवासी शुगर मिल के पास फूल बाग कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.का0 1168 आकाश तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3.म0का0 2149 सोनम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 4.का0 2253 उत्तम धामा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली

दिनांक – 08.07.2024

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 103/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/117 बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.07.2024 को वादी श्री ललित कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द निवासी ग्राम जटपुरा बौण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र मौखा 2.हनीफ पुत्र मौखा 3.अब्दुल वाजीद पुत्र हनीफ व 4.फैजान पुत्र सलीम निवासीगण ग्राम जटपुरा खास थाना मंडावली जनपद बिजनौर द्वारा वादी व उसके भाई राहुल के साथ मारपीट करते हुए गाली – गलौच की व जान से मारने की धमकी दी, जिससे वादी के भाई राहुल को चोटें आयी है । तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम सलीम आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 117 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. फैजान पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम जटपुरा खास थाना मंडावली जनपद बिजनौर 2. हनीफ पुत्र मौखा निवासी ग्राम जटपुरा खास थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.फैजान पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम जटपुरा खास थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 2.हनीफ पुत्र मौखा निवासी निवासी ग्राम जटपुरा खास थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री देवपाल सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 83 अमित कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 81 नवनीत कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 08.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बी0एन0एस में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2024 को वादी श्री परमजीत कौर पत्नी हरि सिंह निवासी ग्राम भिककावाला चौराहा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-मक्खन सिंह 2-गोपी सिंह 3-गगनदीप सिंह पुत्रगण बलविन्दर सिंह 4-गुल्लू 5-गोरी पुत्रगण रमेश 6-मधु पत्नी अर्जुन 7-धर्मवीरी निवासीगण ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर परिवारजनों के उपर लाठी डंडो के साथ जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिसमें वादिनी के पति हरि सिंह और बेटे गुरप्रीत सिंह व देवर सतनाम को गंभीर चोट आई ।



इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5) बी0एन0एस बनाम मक्खन सिंह आदि उपरोक्त कुल 07 नफर पंजीकृत किया गया । दिनांक 04.07.2024 को उपचार के दौरान वादिनी के पति हरि सिंह उपरोक्त की मृत्यु हो गई । विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 103 बी0एन0एस की वृद्धि की गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1-मक्खन सिंह 2-गोपी सिंह 3-गगनदीप सिंह 4-धर्मवीरी को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता मधु पत्नी अर्जुन निवासी मौ0 हेडी बस्ती ग्राम कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

मधु पत्नी अर्जुन निवासी मौ0 हेडी बस्ती ग्राम कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री पुष्कर सिंह थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3- म0आरक्षी 1418 प्रियंका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4- मुख्य आरक्षी चालक रमेश चन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 08.07.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 343/2024 धारा
191(2)/333/329(4)/324(2)/352/115(2)/351(3) बी0एन0एस0 में वांछित 03 अभियुक्तों को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.07.2024 को वादी अहसान खां पुत्र इल्यास खां निवासी ग्राम बीबीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तों आसिफ खां पुत्र रहीस खां आदि 07 नफर निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुये लाठी-डन्डों के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 343/2024 धारा 191(2)/333/329(4)/324(2)/352/115(2)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम आसिफ खां आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. आसिफ खां पुत्र रहीस खां 2. फिरोज खां पुत्र अमीर खां 3. रिजवान खां पुत्र इल्यास खां समस्त निवासीगण ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आसिफ खां पुत्र रहीस खां निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. फिरोज खां पुत्र अमीर खां निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. रिजवान खां पुत्र इल्यास खां निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 कुलदीप शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1093 नवनीत कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1881 सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2436 राजीव राठी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक- 08.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ टिंकू पुत्र चांद सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 20 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 232/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभियुक्त बलविन्द्र उर्फ टिंकू उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बलविन्द्र उर्फ टिंकू पुत्र चांद सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

20 ली0 अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. आरक्षी 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी 1572 शुभम कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 08.07.2024

थाना धामपुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों नसीम पुत्र बन्दे हसन निवासी ग्राम पल्लावला थाना धामपुर जनपद बिजनौर व इकबाल पुत्र रशीद निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.नसीम पुत्र बन्दे हसन निवासी ग्राम पल्लावला थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.इकबाल पुत्र रशीद निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 रोहित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1867 अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 08.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस टीम ने ग्राम सिपाहीवाला की घटना में वांछित हिस्ट्रीशीटर/ पच्चीस हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होने वाले उपकरण सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व लूट/चोरी आदि घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.वसीम उर्फ गलकट पुत्र फुरकान व 2.समीर पुत्र फुरकान निवासीगण मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू तथा चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त किये जाने वाले ग्रह भेदन के उपकरण (01 प्लास, 01 पेचकश, 01 वायर कटर) सहित गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 327/24 धारा 312/313 बीएनएस0 व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम बनाम वसीम व समीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार किये गए अभियुक्त वसीम उर्फ गलकट उपरोक्त थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपाहीवाला में हुई घटना में भी वांछित अभियुक्त था जिसकी निशांदाही पर उक्त घटना से संबंधित माल (पीली धातु की 02 अंगूठी, 02 टॉप्स व 02 लोंग) तथा (सफेद धातु की 04 जोड़ी बिछुए व 02 जोड़ी पाजेब) बरामद किया गया ।

माल बरामदगी के उपरान्त अभियुक्त वसीम उर्फ गलकट उपरोक्त टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश करते हुए गिर गया जिससे उसके दाहिने पैर में चोटे आई । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम उर्फ गलकट का सीएचसी स्योहारा में उपचार कराया गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 328/2024 धारा 262 बीएनएस0 बनाम वसीम उर्फ गलकट उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त वसीम ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य दो साथी अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मौहल्ला नई बस्ती अहाते वाली गली कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व अलताफ पुत्र मेहताब निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के साथ मिलकर चोरी के उद्देश्य से ग्राम सिपाहीवाला में फुरकान के घर में घुसे थे व माल चोरी कर घर से बाहर आ रहे थे तो घर में मौजूद एक व्यक्ति द्वारा हमें पकड़ने की कोशिश की गई तो मैंने अपने पास मौजूद तमन्चे से उक्त व्यक्ति पर गोली चला दी थी । मेरे पास मिला यह तमन्चा उसी घटना का है । (उपरोक्त घटना के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 283/24 धारा 394/411 भादवि पंजीकृत है जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त अकरम पुत्र हसीनुद्दीन उर्फ सीनू निवासी मौहल्ला नई बस्ती अहाते

वाली गली कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर को पूर्व मे ही अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।)

नोट- गिरफ्तार किया गया अभियुक्त वसीम उर्फ गलकट थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसकी हिस्ट्रीशीट सं0 5(ए) है तथा इसके ऊपर 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त वसीम उर्फ गलकट के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर गंभीर धाराओं में करीब तीन दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. वसीम उर्फ गलकट पुत्र फुरकान निवासी मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. समीर पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक अवैध चाकू।
3. गृह भेदन के उपकरण (एक प्लास, एक पेचकश, एक वायर कटर)
4. एक हार पीली धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि
5. 02 अंगूठी पीली धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि
6. 02 टॉक्स पीली धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि
7. 02 लोंग पीली धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि
8. 04 जोडी बिछुए सफेद धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि
9. 02 जोडी पाजेब सफेद धातु संबंधित मु0अ0स0 283/2024 धारा 394/411 भादवि

आपराधिक इतिहास वसीम उर्फ गलकट उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 119/16 धारा 18/20 NDPS ACT थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 120/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 103/19 धारा 307 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 104/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 105/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 106/19 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 117/20 धारा 147/188/290/353/504/506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 163/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 251/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 20/20 धारा 307/323/504 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 22/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
12. मु0अ0सं0 178/16 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
13. मु0अ0सं0 433/20 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
14. मु0अ0सं0 437/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना नगीना जनपद बिजनौर।
15. मु0अ0सं0 438/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
16. मु0अ0सं0 452/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
17. मु0अ0सं0 205/17 धारा 342/395/397/412/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
18. मु0अ0सं0 422/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
19. मु0अ0सं0 625/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
20. मु0अ0सं0 626/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
21. मु0अ0सं0 627/22 धारा 380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

22. मु0अ0सं0 251/20 धारा 379 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
23. मु0अ0सं0 115/18 धारा 302/307/34 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
24. मु0अ0सं0 239/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
25. मु0अ0सं0 283/24 धारा 394 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
26. मु0अ0सं0 201/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
27. मु0अ0सं0 227/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
28. मु0अ0सं0 287/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
29. मु0अ0सं0 327/2024 धारा 312/313 बीएनएस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर ।
30. मु0अ0सं0 328/2024 धारा 262 बीएनएस0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास समीर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 664/23 धारा 379 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 327/24 धारा 312/313 बीएनएस0 व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना स्योहारा बिजनौर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. उ0नि0 श्री यशपाल मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
5. हे0 का0 524 विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
6. हे0 का0 689 पुष्पेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
7. हे0 का0 568 अंशल अहलावत थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
8. का0 1962 रजनीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।